# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकः– एफ.14( )शैक्ष. । ।/मदसविवि/2026/ दिनांकः–

निरस्त पत्र

समस्त प्राचार्य,
मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त
समस्त महाविद्यालय,

विषय :– **सत्र 2017–2018 से सम्बद्धता से सम्बन्धित शुल्कों पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि जमा कराने बाबत् ।**

संदर्भ :– विश्वविद्यालय पत्रांकः 8160–8540 दिनांक 20.04.2023, 29995–30445 दिनांक 30.11.2023, 28013–28452 दिनांक 28.09.2024, कार्यालय आदेश क्रमांकः 16509 –880 दिनांक 21.06.2025 व पत्रांकः 100 दिनांक 02.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों व कार्यालय आदेश के क्रम में पुनः सूचित कर लेख है कि महाविद्यालयों को सत्र 2017–2018 से 2023–2024 तक के सम्बद्धता से सम्बन्धित समस्त शुल्कों यथा– सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क, अनापत्ति प्रमाण–पत्र शुल्क (if applicable), आर्थिक दण्ड/शास्ति (Penalty) अन्य शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अविलम्ब जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। जो कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाया गया है। **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व माल एवं सेवा कर आयुक्तालय द्वारा जो भी शास्ति व ब्याज लगाया जाएगा, उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।**

ज्ञातव्य रहे कि उक्तानुसार पूर्व के सत्रों (2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024) का 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धता व उससे सम्बन्धित सेवा किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अतः इसकी पालना के अभाव के फलस्वरूप आपके महाविद्यालय के समस्त छात्रों को होने वाली असुविधा/परेशानी एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्बद्धता वापसी हेतु की जाने वाली कार्यवाही की समस्त जिम्मेदारी आपकी संस्था/महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

–Sd–

कुलसचिव

क्रमांकः– एफ.14( )शैक्ष. । ।/मदसविवि/2026/ 6866–873 दिनांकः– 18-02-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. उपकुलसचिव (शैक्ष. I), मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. कुलगुरू सचिवालय/निजी सहायक–कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।

उपकुलसचिव (शैक्ष. । ।)